न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 37/2019 राजस्व अपील

1. कजोड पुत्र मूलचन्द जाति कोली निवासी कोरडा खुर्द तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 29.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कजोड प्रकरण संख्या 105/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: निर्णय :— दिनांकः 28.06.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 289 रकबा 0.10 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी ग्राम रामा कोरडा खुर्द तहसील सिकराय में स्थित है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम रामा कोरडा खुर्द की भूमि खसरा नं0. 289 रकबा 0.10 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को दिनांक 29.08.2018 को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का यह निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। इस भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं पटवारी हल्का द्वारा झूंठी रिपोर्ट पेश की गई है। अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना, मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन किये बिना एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2018 निरस्त करने के आदेश फरमावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम रामा कोरडा खुर्द तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नं0. 289 रकबा 0.10 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 29.08.2018 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.08.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 105/2018 उनवानी सरकार बनाम कजोड में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official